1

(11)

निग0 5683/2018/रीवा/भू-रा0

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा.

रामजियावन प्रसाद पाण्डेय पिता स्व. श्री लक्ष्मण प्रसाद पाण्डेय, निवासी ग्राम--बोदा, तहसील--हुजूर, जिला--रीवा (म0प्र0)

-------निगरानीकर्ता

बनाम

1. शत्रुसूदन प्रसाद पाण्डेय पिता स्व. श्री केशव प्रसाद पाण्डेय, निवासी--बोदा, तहसील हुजूर, जिला--रीवा (म0प0)

2. शासन मध्यप्रदेश, जरिये जिलाध्यक्ष रीवा. ------प्रत्यर्थीगण

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 01.08.2018 की वैधता एवं औचित्यता के संबंध में प्रकरण क्र. 352/अपील/2013-14, अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण :

आराजी नंबर पुराना रकवा 1.62 एकड़ था जो पैतृक था उसमें सूर्यप्रसाद व रामविशाल के दर्मियान कई अर्सा पूर्व आपसी मौखिक बटनवारा इस प्रकार हुआ था, कि आराजी नंबर दक्षिण का भाग 0.81 ए. सूर्यप्रसाद को मिला व उत्तरी भाग 0.81 ए. रामविशाल को प्राप्त होकर मिला। सूर्यप्रसाद अपने दक्षिण के हिस्सा में काबिज दाखिल थे और उत्तर के हिस्सा में रामविशाल के वारिसों का कब्जा दखल था व आज भी है और उसी प्रकार कृषि करते रहे। जब अधिकार अभिलेख बना तब

रामजियावन

(11)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0–5683/2018/रीवा/भू–रा0 जिला– रीवा

रामजिआवन प्रसाद पाण्डेय/ शत्रूसूदन प्रसाद पाण्डेय

(1)	(2)	(3)
18·12·18	1. आवेदक की ओर से श्री महेश प्रसाद पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 352/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 17.09.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	